संख्याः 41 /2016/766/सीस-1-2016-5(43)/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं,
वशेष स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 16 दिसम्बर, 2016

वषयः बस स्टेशन करहल जनपद मैनपुरी का उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या- संख्या-430बी/डीए/यू0/16, दिनांक 19 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क शासनादेश संख्या-1/2016/47/सीस-1-2015-5(43)/2015, दिनांक 15 जनवरी, 2016 द्वारा बस स्टेशन करहल जनपद मैनपुरी के उच्चीकरण के कार्य हेतु आगणन लागत रू0 293.34 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा वत्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम कश्त के रूप में रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनरा श व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन ल0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था ना मत कया गया है।

2- अब, प्रकरण में परिवहन निगम मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 19.08.2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक वचारोपरान्त वत्तीय वर्ष 2016-17 में बस स्टेशन करहल जनपद मैनपुरी के उच्चीकरण के कार्य हेतु द्वतीय एवं अंतिम कश्त के रूप में रू० 168.34 लाख (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख चौतीस हजार मात्र) की धनरा श अवमुक्त कये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं क योजना को अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयाव ध में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनरा श कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्ध होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनरा श उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनरा श बैंक/पी0एल0ए0 डपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

4- भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय। साथ ही गुणवत्ता का वशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भ वष्य में पुनरावृत्त/द्वरावृत्त न हो यह भी सुनिश्चित कया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनरा श का मा सक ववरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनरा श को व्यय करने से पूर्व वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों तथा पर इस संबंध में समय-समय पर दिये

http://shasanadesh.up.nic.in

गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयो गता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- निर्माण के समय कार्य की व शष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित कये जाने का दायित्व यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन ल मटेड, लखनऊ का होगा।

7- उक्त धनरा श का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कया जायेगा।

8- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-1/2016/47/सीस-1-2015-5(43)/2015, दिनांक 15 जनवरी, 2016 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वत्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी वनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

10- यह आदेश वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय वभागों को प्रतिनिधानित अ धकारों के अन्तर्गत जारी कये जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

वशेष स चव।

संख्याः 41/2016/766(1)/सीस-1-2016 तददिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन ल मटेड, लखनऊ ।
6. वत्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वत्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वत्त नियन्त्रक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन ल मटेड, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वत्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वत्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(सन्त लाल)

अनु स चव।

http://shasanadesh.upnic.in